रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 12 अप्रैल, 2003/22 चैत्र, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 27 मार्च, 2003

संख्या बी० एल० पी०-पंच-6-16/79-III-727-33.—यतः श्री सुरेश कुमार, जिला बिलासपुर के विकास खण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत सेऊ में वार्ड पंच के पद पर निर्वाचित घोषित हुए थे । उक्त श्री सुरेश कुमार ने अपनी घरेलू परिस्थितयों के फलस्वरूप दिनांक 27-12-2002 से वार्ड पंच, वार्ड नं०-1, ग्राम पंचायत सेऊ के पद से त्याग-पत्र दिया है, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत सेऊ ने प्रस्ताव संख्या-2, दिनांक 27-12-2002 एवं खंण्ड विकास अधिकारी घुमारवीं के पत्र संख्या 5728, दिनांक 22-1-2003 के अन्तर्गत की गई तथा यह त्याग-पत्र जिला पंचायत अधिकारी द्वारा उनके पत्र सं० 611-17, दिनांक 13-3-2003 के अन्तर्गत दिनांक 27-12-2002 से स्वीकृत करने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सेऊ के वार्ड पंच का पद दिनांक 27-12-2002 से रिक्त हो गया है ।

अतः मैं, पी० सी० जस्सल, उपायुक्त बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) तथा (4) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम पंचायत सेऊ, विकास खण्ड घुमारवीं के वार्ड नं०-1 के वार्ड पंच का पद दिनांक 27-12-2002 से रिक्त घोषित करता हूं ।

पी० सी० जस्सल,
उपायुक्त,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०) ।

4340-राजपत्र/2003-12-4-2003—1,389.

मूल्य : 1 रुपया ।

कार्यालय उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

चम्बा, 26 मार्च, 2003

संख्या पंच-चम्बा-ए0 (16) 10/79-2002-II-27-33-395-42.—चूंकि खण्ड विकास अधिकारी चम्बा के पत्र संख्या 2640, दिनांक 16-12-2002 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि श्री रमेश चन्द सदस्य, ग्राम पंचायत सरोल, मास सितम्बर, 2002 से नवम्बर 2002 तक ग्राम पंचायत की बैठकों में बिना किसी कारण अनुपस्थित रहें है ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्र0सं0	मास	बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	9/2002 से 11/2002	6	अनुपस्थिति

उक्त के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र संख्या पंच0-चम्बा-ए0 (16)/79-2002-II, दिनांक 2-1-2003 को श्री रमेश चन्द, सदस्य ग्राम पंचायत सरौल को हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1)(ख) के प्रावधान अनुसार पद से हटाने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसका उत्तर उक्त सदस्य से दिनांक 4-2-2003 को कार्यालय में प्राप्त हुआ था । परन्तु उनका उत्तर तथ्यों के आधार पर नहीं पाया गया (उत्तर सन्तोषजनक नही पाया गया) ।

अतः मैं, राहुल आनन्द (भा0प्र0से0), उपायुक्त चम्बा उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदे पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री रमेश चन्द सदस्य ग्राम पंचायत सरौल का सदस्य के पद से लोकहित में निस्कासित करता हूं तथा ग्राम पंचायत सरौल का उक्त सदस्य पद रिक्त घोषित करता हूं ।

चम्बा, 26 मार्च, 2003

सं0पंच-चम्बा-ए0 (16) 10/79-2002-II-388-394.—चूंकि खण्ड विकास अधिकारी चम्बा के पत्र सं0-2640 दिनांक 16-12-2002 द्वारा कार्यालय को सूचित किया है कि श्री नरेश कुमार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सरोल मास दिसम्बर, 2001 से नवम्बर, 2002 तक ग्राम पंचायत की बैठकों में बिना किसी कारण अनुपस्थित रहें हैं, ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :—

क्र0सं0	मास	बैठक की संख्या	बैठकों में अनुपस्थिति
(1)	1/2002 से 7/2002	14	अनुपस्थिति
(2)	8/2002 से 10/2002	4	अनुपस्थिति

उक्त के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र सं0 पंच-चम्बा-ए0 (16) 10/79-2002-II-27-33, दिनांक 2-1-2003 की श्री नरेश कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सरोल को हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ब) के प्रावधान अनुसार कारण बताओ नोटिस दिया गया था । जिसका उत्तर उक्त

पदाधिकारी से दिनांक 15-1-2003 को कार्यालय में प्राप्त हुआ था । परन्तु उनका उत्तर तथ्यों के आधार पर नहीं पाया गया (उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया) ।

अतः मैं, राहुल आनन्द (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त चम्बा उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है श्री नरेश कुमार, उप-प्रधान ग्राम पंचायत सरोल को उप-प्रधान के पद से लोकहित में निष्कासित करता हूं तथा ग्राम पंचायत सरोल का उप-प्रधान का पद रिक्त घोषित करता हूं ।

चम्बा, 28 मार्च, 2003

संख्या पंच-चम्बा-ए0 (16) 10/79/2002-II-432-37.—क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत कमहाड़ा ने इस कार्यालय के ध्यान में लाया है कि आप ग्राम पंचायत कमहाड़ा में भड़िया सहकारी सभा की उचित मूल्य की दुकान में लगभग एक वर्ष बतौर डिपो बिक्रेता/डिपो होल्डर कार्य कर रहें हैं इस तथ्य की पुष्टि जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक चम्बा ने अपने पत्र संख्या 686 दिनांक 5-3-2003 द्वारा दी है जबकि ग्राम पंचायत कमहाड़ा के वार्ड नं0 4 से पंचायत सदस्य भी हैं । जिसके फलस्वरूप आप एक ग्राम पंचायत सदस्य होने के नाते किसी भी सहकारी सभा के अन्तर्गत किसी प्रकार का कार्य नही कर सकते ।

अतः उपरोक्त अनुसार आपने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 (1) (इ) के निरर्हता ग्रहण कर ली है और इससे पहले कि आपके विरुद्ध हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए आप इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें । उक्तर समय अवधि भीतर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा की आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आप के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

राहुल आनन्द,
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा, (हि0 प्र0) ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 26 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) त्याग-पत्र-522-27.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू ने अपने पत्र संख्या 7432 दिनांक 21-3-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड के ग्राम पंचायत खड़ीहार के सदस्य वार्ड संख्या-5 के श्री पूर्व दयाल की नियुक्ति केनरा बैंक कुल्लू में होने के कारण अपने पद से त्याग-पत्र दिया है तथा त्याग-पत्र दिनांक 7-3-2003 से स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, जय लाल कन्नान, जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री पूर्व दयाल सदस्य वार्ड संख्या-5 ग्राम पंचायत खड़ीहार विकास खण्ड कुल्लू जिला कुल्लू के त्याग-पत्र को 7-3-2003 से स्वीकृत करता हूं तथा ग्राम पंचायत खड़ाहार के पंच पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

कुल्लू, 26 मार्च, 2003

संख्या पी0सी0एच0 (कु) त्याग-पत्र-512-17.—यह कि श्री चांद कुमार उप-प्रधान ग्राम पंचायत शाट विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू ने अपने पत्र दिनांक 13-3-2003 में जो अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित है, दो से अधिक सन्तान होने पर, अपने पद से नैतिकता के आधार पर स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया है।

अतः मैं जय लाल कन्नान, जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत प्राप्त है, श्री चांद कुमार उप-प्रधान ग्राम पचायत शाट, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू, के त्याग-पत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करता हूं तथा ग्राम पंचायत शाट के उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

जय लाल कन्नान,
जिला पंचायत अधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

कुल्लू, 2 अप्रैल, 2003

संख्या पी0सी0एच0 (कु0) जि0 प0-निर्वाचन-581-84.—जिला परिषद् कुल्लू के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उप-चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष का प्रकाशन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश निम्न प्रकार से अधिसूचित करता हूं।

अध्यक्ष : श्री वृद्धि सिंह ठाकुर सुपुत्र श्री भाग सिंह,
गांव खोबर, डा0 शमानी, त0 निरमण्ड,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

कार्यालय आदेश

मण्डी, 21 मार्च, 2003

पृष्ठांकन संख्या पी0सी0एच0-एम0एन0डी0-ए0(1) 61/92-III-1167-1267.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 व 123 (4) व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अनुसरण मे, मैं, जे0पी0 सिंह, उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0, जिला मण्डी के पंचायती राज

संस्थाओं के निम्न विवरणानुसार पदाधिकारियों की विवरणिका के कालम 5 में दर्शाए कारणों के आधार पर प्राप्त त्याग-पत्रों से स्वीकार होने की दशा में तथा अन्य आकस्मिक रिक्तियां होने की दशा में निम्नानुसार पदों को विधिवत रिक्त घोषित करता हूं । रिक्त पदों के प्रति नियमानुसार निर्वाचित अधिकारी केवल पंचायत के शेष कार्यकाल तक पदासीन रहेंगे ।

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	त्याग पत्र देने वाले व अन्य पदाधिकारी का नाम व पद	रिक्त होने का कारण
1	2	3	4	5
1.	गोहर	पंचायत समिति गोहर	श्रीमती जसा देवी, पंचायत समिति सदस्या, वार्ड नं0 शिल्हणु-II.	घरेलु परिस्थितियों के कारण ।
2.	-यथोपरि-	-यथोपरि-	श्री देवी दास, पंचायत समिति सदस्य वार्ड नं0 थिस्ती-8.	मृत्यु हो जाने के कारण
3.	-यथोपरि-	शिल्हणु	श्रीमती पुन्नू देवी, पंच, वार्ड नं0 3 दयोला ।	घरेलु परिस्थितियों के कारण ।
4.	-यथोपरि-	जहल	श्रीमती नेमो देवी, पंच, वार्ड नं0 2 जहल ।	-यथोपरि-
5.	-यथोपरि-	घरोट	श्री पूर्ण चन्द, पंच, वार्ड नं0 2-चमडार	-यथोपरि-
6.	सदर मण्डी	नागधार	श्री मुकेश कुमार, उप-प्रधान	नौकरी पर लग जाने के कारण ।
7.	-यथोपरि-	-यथोपरि-	श्रीमती चम्पा देवी, पंच, वार्ड नं0-3 हतोण-I.	-यथोपरि-
8.	-यथोपरि-	टाण्ड	श्रीमती कमला देवी, पंच वार्ड नं0-7 पाखरी ।	घरेलू परिस्थितियों के कारण ।
9.	-यथोपरि-	सदयाणा	श्रीमती मीना कुमारी, पंच वार्ड नम्बर-6 पपराहल ।	तीसरी सन्तान उत्पन्न होने के कारण ।
10.	गोपालपुर	चोक	श्रीमती सरस्वती देवी, प्रधान	मृत्यु हो जाने के कारण ।
11.	-यथोपरि-	गोपालपुर	श्री उमेश चन्द, पंच, वार्ड नं0-9 गोपालपुर ।	नौकरी पर लग जाने के कारण ।
12.	-यथोपरि-	चोक	श्री रूप सिंह पंच, वार्ड नम्बर-7 करढवाण ।	-यथोपरि-
13.	-यथोपरि-	गोन्ता	श्रीमती कौशल्या देवी, पंच वार्ड नम्बर-3 पहलवाण ।	-यथोपरि-
14.	-यथोपरि-	समैला	श्री ज्ञान चन्द, पंच वार्ड नम्बर-1 बच्छवाण ।	मृत्यु हो जाने के कारण ।
15.	चौंतड़ा	टिक्करी मुशेहरा	श्री महन्त राम, उप-प्रधान	-यथोपरि-
16.	-यथोपरि-	कोलंग	श्रीमती मिलापा देवी, पंच वार्ड नम्बर-2, समोड ।	नौकरी पर लग जाने के कारण ।
17.	-यथोपरि-	तुलाह	श्री धर्म चन्द, पंच वार्ड नम्बर-3 वेरू	-यथोपरि-

1	2	3	4	5
18.	सुन्दरनगर	धन्यारा	श्री खयाला राम, प्रधान	तीसरी सन्तान उत्पन्न होने के कारण ।
19.	-यथोपरि-	चमुखा	श्री रमेश कुमार, पंच, वार्ड नं0-4 सबयाहण-1.	घरेलु परिस्थितियों के कारण ।
20.	सराज	सुनाह, लम्बाथाच	श्री मोहर सिंह, पंच, वार्ड नं 0-7, लेह	मृत्यु होने के कारण ।
21.	बल्ह	बग्गी	श्री धनी राम, पंच, वार्ड नम्बर-3 बग्गी-III.	नौकरी पर लग जाने के कारण ।
22.	धर्मपुर	गरोढ़	श्रीमती मीरा देवी, पंच, वार्ड नम्बर-5 रोपड़ी बगफाल ।	-यथोपरि-

मण्डी, 28 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1367-74.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 12-8-2002 के अन्तर्गत श्री जय पाल, पंच, ग्राम पंचायत बटवाडा, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री जय पाल, पंच, ग्राम पंचायत बटवाडा को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक पी0 सी0 एच-एम0 एन0डी0/2001-4919-23 दिनांक 27-8-2002 के अधीन 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये ।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 23-9-2002 को प्राप्त हुआ है । अपने स्पष्टीकरण में उक्त पंचायत पदाधिकारी ने उनके तीसरी जीवित सन्तान दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् उत्पन्न होना स्वीकार किया है ।

तथा यह कि उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

उपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री जय पाल, पंच, ग्राम पंचायत बटवाडा, विकास खण्ड सुन्दरनगर को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत बटवाडा, विकास खण्ड सुन्दरनगर के वार्ड 7—पंजोलठ-2 के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 28 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1383-90. —यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 19-8-2002 के अन्तर्गत श्री मनोहर लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नौहली विकास खण्ड द्रंग जिला मण्डी हि0 प्र0 के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के

दृष्टिगत श्री मनोहर लाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नोहली को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक पी0 सी0 एच0-एम0 एन0 डी0/2001-5150-54, दिनांक 4-9-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम- 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने अयोग्य घोषित किया जाये ।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 17-12-2002 को प्राप्त हुआ है । अपने स्पष्टीकरण में उक्त पंचायत पदाधिकारी ने उनके तीसरी जीवित सन्तान दिनांक 8-5-2001 पश्चात उत्पन्न होना स्वीकार किया है ।

तथा यह कि उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधी में आते हैं यह प्रावाधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनिय , 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अत: मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी हि0 प्र0 उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनितम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं । श्री मनोहर लाल उप-प्रधान, ग्राम पंचायत नोहली विकास खण्ड द्रंग को तत्काल अपने पद पर असीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत नोहली विकास खण्ड द्रंग के उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 28 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1391-97.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 19-10-2002 के अन्तर्गत श्री जगत राम, पंच, ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है । प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री जगत राम, पंच, ग्राम पंचायत पांगणा को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक पी0 सी0 एच0 एम0, एन0 डी0/2001-5917-21, दिनांक 30-10-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किये गये कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये ।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 25-11-2002 को प्राप्त हुआ है । अपने स्पष्टीकरण में उक्त पंचायत पदाधिकारी ने उनके तीसरी जीवित सन्तान दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् उत्पन्न होना स्वीकार किया है ।

तथा यह कि उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं । यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अत: मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के

अन्तर्गत प्राप्त है, श्री जगत राम, पंच, ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत पांगणा, विकास खण्ड करसोग के वार्ड 6, थाटा के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 28 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी/2001-1375-82.—यह कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना दिनांक 12-8-2002 के अन्तर्गत श्री चेत राम, पंच, ग्राम पंचायत वटवाड़ा, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री चेत राम, पंच, ग्राम पंचायत वटवाड़ा को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस क्रमांक पी0 सी0 एच0-एम0 एन0 डी0/2001-4914-18, दिनांक 27-8-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश किए गए कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधितियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने अयोग्य घोषित किया जाए।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी से स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 23-9-2002 को प्राप्त हुआ है। अपने स्पष्टीकरण में उक्त पंचायत पदाधिकारी ने उनके तीसरी जीवित संतान दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् उत्पन्न होना स्वीकार किया।

तथा यह कि उक्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद वर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उध्दृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्री चेत राम, पंच ग्राम पंचायत वटवाड़ा, विकास खण्ड सुन्दरनगर को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत वटवाड़ा, विकास खण्ड सुन्दरनगर के वार्ड 2, जरल-2 के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 28 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-1351-58.—यह कि श्री ओम चन्द पंच, ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-5872, दिनांक 30-10-2002 के अन्तर्गत 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(ण) के अन्तर्गत अपने पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए।

तथा यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी के स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हो चुका है। उक्त पदाधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया कि उनके दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई हैं, परन्तु तर्क दिया है कि उनकी तीसरी सन्तान का गर्भधारण 8-6-2001 से पूर्व हो चुका था। अन्त में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में विहित प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी का स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच किए जाने पर इसे असन्तोषजनक पाया गया । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) के अन्तर्गत प्रावधान स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्था को कोई भी पदाधिकारी जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न होती है तो वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जा सकेगा । उक्त प्रावधान में पंचायत पदाधिकारी के 8-6-2001 से पूर्व गर्भधारण करने की स्थिति में किसी भी प्रकार की रियायत की व्यवस्था नहीं है ।

ऊपरवर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री ओम चन्द पंच, ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को तत्काल अपने पद पर पदासीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत बाड़ी गुमाणू, विकास खण्ड मण्डी सदर के वार्ड पंच-1-भलेड जिला मण्डी के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

मण्डी, 28 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी-/2001-1359-66. —यह कि श्री रविन्द्र कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-2001-5877-81, दिनांक 30-10-2002 के अन्तर्गत 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (ण) के अन्तर्गत अपने पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाये ।

तथा यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी का स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हो चुका है । उक्त पदाधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुये स्वीकार किया है कि उनके दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी सन्तान उत्पन्न हुई है, परन्तु तर्क दिया है कि उनकी तीसरी सन्तान का गर्भधारण 8-6-2001 से पूर्व हो चुका था । अतः वे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में विहित प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

यह कि उक्त पंचायत पदाधिकारी के स्पष्टीकरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच किये जाने पर इसे असन्तोषजनक पाया गया । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) के अन्तर्गत प्रावधान स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्था को ऐसा कोई भी पदाधिकारी जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न होती है तो वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जा सकेगा । उक्त प्रावधान में पंचायत पदाधिकारी के 8-6-2001 से पूर्व गर्भधारण करने की स्थिति में किसी भी प्रकार की रियायत की व्यवस्था नहीं है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम' 1994 व सम्बन्धित नियमों में उक्त प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, जे0 पी0 सिंह (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुये जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, श्री रविन्द्र कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

को तत्काल अपने पद पर पदासीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत बैरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी (हि० प्र०) के उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

जे० पी० सिंह,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त (जिला दण्डाधिकारी) जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 31 मार्च, 2003

संख्या विविध-10 (3)/2002-11711-71.—चूंकि ग्रीष्म ऋतु में संक्रामक रोग जैसे हैजा, आन्त्रशोध, डायरिया इत्यादि के फैलने का अंदेशा बना रहता है इसलिए उनके निवारण उपाय अपनाने अत्यन्त आवश्यक हैं।

अतः मैं, ओंकार शर्मा, उपायुक्त (जिला दण्डाधिकारी), जिला सिरमौर, नाहन महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 17-7/71-एच० पी० व एफ० पी०, दिनांक 2-7-74 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न खाद्य सामग्री व अन्य वस्तुओं का जिला सिरमौर में बेचने पर प्रतिबन्ध लगाता हूं :—

(1) ज्यादा पके हुए फल एवं सब्जियां तथा प्रत्येक प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ एवं खनिज जल जो हिमाचल प्रदेश जीवाणु विज्ञान विद् के अनुमोदन बिना तैयार किए गए हों तथा प्रयोग योग्य न हों।

(2) खुले बेचे जाने वाले फल व मिठाईयां, बोतल बन्द न किए गए समस्त पेय पदार्थ, जामुन, ककड़ी, अमरूद, कुल्फी, आईस-कैण्डी व फलूदा इत्यादि जब तक उनको ढका न गया हो।

(3) यह भी आदेश दिए जाते हैं कि हैजा/आन्त्रशोध/अतिसार फैलने की आशंका होने पर इलाके में रहने वाले समस्त व्यक्तियों को हैजा/आन्त्रशोध/अतिसार निरोधक टीका लगवाना होगा।

(4) उक्त आदेशों के कार्यान्वयन के लिए मैं निम्न अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूं तथा ऐसा करते समय वे गोदाम/बाजार/मकान/स्टाल या अन्य किसी भी ऐसे स्थान पर जहां उक्त पदार्थों का उत्पादन/निर्माण/बिक्री/भण्डारण किया जाता हो, के निरीक्षण/अभिग्रहण/निराकरण व नष्ट करने के उद्देश्य से दाखिल हो सकते हैं।

इन अधिकारियों को धारा 188 आई० पी० सी० के अन्तर्गत न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है:—

(क) स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर।
(ख) चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), सिविल अस्पताल/ग्रामीण अस्पताल/सिविल डिस्पैंसरी एवं जन स्वास्थ्य केन्द्र।
(ग) खाद्य निरीक्षक, जिला सिरमौर।
(घ) सफाई निरीक्षक/स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जिला सिरमौर।
(ङ) समस्त कार्यकारी दण्डाधिकारी, जिला सिरमौर।

उक्त आदेश जारी करने की तिथि से तुरन्त प्रभावी होंगे तथा दिनांक 31-3-2004 तक लागू रहेंगे।

आदेश द्वारा,
ओंकार शर्मा,
उपायुक्त, जिला दण्डाधिकारी सिरमौर, नाहन।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।